न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

(पूर्ण पीठ)

1. अपील संख्या– 79/2006–07 तापस मण्डल –बनाम– खगेन्द्र नाथ आदि
2. अपील संख्या– 32/2006–07 खगेन्द्रनाथ –बनाम– तापस मण्डल आदि
3. अपील संख्या– 21/2006–07 प्रसन्न कुमार –बनाम– नारायण हल्धर
4. अपील संख्या– 42/2006–07 नारायण हल्धर –बनाम– प्रसन्न कुमार
5. अपील संख्या– 22/2006–07 नरेन्द्र बढ़ई –बनाम– शिवपद
6. अपील संख्या– 34/2006–07 शिवपद –बनाम– नरेन्द्र नाथ
7. अपील संख्या– 18/2006–07 लखन बाईन –बनाम– जादव हल्धर
8. अपील संख्या– 39/2006–07 जादव हल्धर –बनाम– लखन बाईन
9. अपील संख्या– 81/2006–07 केनाराम –बनाम– नारायण चन्द्र
10. अपील संख्या– 40/2006–07 नारायण चन्द्र –बनाम– केनाराम
11. अपील संख्या– 20/2006–07 परेश चन्द्र –बनाम– शिवपद
12. अपील संख्या– 31/2006–07 शिवपद –बनाम– परेश चन्द
13. अपील संख्या– 19/2006–07 प्राण विश्वास –बनाम– जादव हल्धर
14. अपील संख्या– 41/2006–07 जादव हल्धर –बनाम– प्राण विश्वास
15. अपील संख्या– 43/2006–07 विरेन्द्र अधिकारी –बनाम– समीरन
16. अपील संख्या– 36/2006–07 समीरन –बनाम– वीरेन्द्र अधिकारी
17. अपील संख्या– 37/2006–07 चितरंजन –बनाम– ठाकुर बैरागी
18. अपील संख्या– 45/2006–07 ठाकुर बैरागी –बनाम– चितरंजन
19. अपील संख्या– 80/2006–07 आशुतोष सरदार –बनाम– जादव हल्धर
20. अपील संख्या– 38/2006–07 जादव हल्धर –बनाम– आशुतोष सरदार
21. अपील संख्या– 35/2006–07 गोलक चन्द्र –बनाम– वीरेन्द्र अधिकारी
22. अपील संख्या– 33/2006–07 वीरेन्द्र अधिकारी –बनाम– गोलक चन्द्र

उपस्थितः

1.श्री राकेश शर्मा, आई0ए0एस0, अध्यक्ष।

2.श्री विजय कुमार ढौंडियाल, आई0ए0एस0, सदस्य(न्यायिक), राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून

3.श्री धीराज गर्ब्याल, आई0ए0एस0, सदस्य(न्यायिक) राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, सर्किट कोर्ट, नैनीताल।

बावत

मौजा तहसील–सितारगंज, जिला–उधमसिंह नगर।

निर्णय

उपरोक्त सभी अपीलें उत्तर प्रदेश टेनेन्सी एक्ट की धारा–59 के अन्तर्गत विद्वान आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल के आदेश दिनांक 05–04–2006 के विरूद्व योजित

की गई हैं जिसके द्वारा विद्वान आयुक्त ने विचारण न्यायालय परगनाधिकारी/सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, खटीमा के समक्ष उक्त टी0पी0 एक्ट की धारा–59 के अन्तर्गत योजित वाद में पारित निर्णय दिनांक 27–09–2002/05–04–2002 की पुष्टि करते हुए तथा अपीलकर्ता की अपील को निरस्त करते हुए विवादित भूमि को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश पारित कर दिये, इस आदेश से क्षुब्ध होकर उपरोक्त अपीलें न्यायालय अपर मुख्य राजस्व आयुक्त(राजस्व परिषद), सर्किट कोर्ट, उत्तराखण्ड–नैनीताल के समक्ष प्रस्तुत की गई थीं जो विद्वान अपर मुख्य राजस्व आयुक्त द्वारा अपने आदेश दिनांक 20–04–2007 से विधिक बिन्दुओं का निस्तारण पूर्ण पीठ द्वारा किये जाने हेतु इस न्यायालय को संदर्भित की गई।

हमने प्रस्तुत अपीलों एवं अवर अपीलीय न्यायालय आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल तथा विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, खटीमा की वाद पत्रावलियों तथा उनमें रक्षित अभिलेखों का भी सम्यक अध्ययन किया और उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों को विस्तारपूर्वक सुना।

विद्वान अपर मुख्य राजस्व आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 20–04–2007 में विस्तृत विवेचना करते हुए अपीलें पूर्ण पीठ को निस्तारण हेतु संदर्भित की हैं। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विवादित भूमि मूलतः पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के लिए जिला पुनर्वास विभाग, रूद्रपुर द्वारा आवंटित की गई हैं। विवादित भूमि पर विपक्षीगण पट्टेधारक के रूप में एक लीज धारक है। विवादित भूमि का संचालन पट्टे की शर्तों के अनुसार ही होना स्पष्ट है। विद्वान अपर आयुक्त ने अपने निर्णयादेश दिनांक 20–04–2007 में प्रकरण के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचना की है।

उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग–2, देहरादून द्वारा शासनादेश संख्या–7043(1)/XVIII(II)/2015–02(01)/2010, दिनांक 03 अक्टूबर, 2015 में जनपद ऊधमसिंह नगर में पुनर्वास योजना के अधीन विस्थापित होकर आये परिवारों को आवंटित भूमि पर मूल पट्टेधारकों तथा काबिज पट्टेधारकों को भूमिधरी अधिकारी दिये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्त शासनादेश निर्गत किया गया है। शासनादेश जो जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर को सम्बोधित है एवं प्रति अन्य को भी पृष्ठांकित है में कतिपय प्राविधान उल्लिखित करते हुए उपरोक्त श्रेणी के पट्टाधारकों तथा कब्जाधारकों को समयबद्व कार्यवाही किए जाने तथ पट्टाग्रस्त भूमि जिसमें मूल पट्टेदार व कब्जेदार के मध्य विवाद है अथवा कब्जेदार गम्भीर अविधिक रूप से या मूल पट्टेदार के साथ विवाद के बावजूद काबिज है के सम्बन्ध में ऐसे प्रकरणों में जिलाधिकारी द्वारा केस टु केस बेसिस पर विवाद के इन मामलों की सुनवाई की व्यवस्था किए जाने का उल्लेख किया गया है। उक्त शासनादेश में साथ ही सुनवाई के उपरान्त सम्बन्धित अधिकारी द्वारा स्वतः स्पष्ट आदेशों के माध्यम से संक्रमणीय अधिकार किस पक्ष में होंगे इसका निर्धारण किये जाने तथा तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज किए जाने का भी उल्लेख है। विवादग्रस्त मामलों में सुनवाई के उपरान्त यदि कोई कठिनाईयाँ आती हैं तब ऐसे मामले अभिलेखों सहित राजस्व परिषद को संदर्भित किये जाने का भी प्राविधान किया गया है।

अतः उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 03 अक्टूबर, 2015 में दी गई व्यवस्था के तहत हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि उपरोक्त सभी अपीलों को स्वीकार कर प्रकरण आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल को इस निर्देश सहित प्रतिप्रेषित किया जाना उचित होगा कि वे सभी प्रकरणों/अपीलों का वादग्रस्त भूमि की वास्तविक स्थिति एवं मौके के कब्जाधारकों/पट्टाधारकों और उससे सम्बन्धित पक्षों को नोटिस जारी कर प्रकरण को जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर एवं अन्य सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों की उपस्थिति में अपील का समयबद्व तरीके से तिथियाँ नियत कर तथा साथ ही विद्वान अपर मुख्य राजस्व

आयुक्त, उत्तराखण्ड सर्किट कोर्ट, नैनीताल के निर्णयादेश दिनांक 20–04–2007 में उल्लिखित विधिक बिन्दुओं को भी दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण का गुणदोष के आधार पर विधिसम्मत निस्तारण सुनिश्चित करें।

आदेश

अतः उपरोक्त सभी अपीलें स्वीकार करते हुए प्रकरण/विवाद आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल को निर्णयादेश में दी गई विवेचना के आधार पर इस निर्देश सहित प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे तद्नुसार अपीलों का निस्तारण समयबद्व तरीके से उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 03 अक्टूबर, 2015 में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप शीघ्रता से सुनिश्चित करें। अवर न्यायालयों की समस्त पत्रावलियाँ आयुक्त, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल को प्रेषित की जाय तथा इस न्यायालय की पत्रावलियाँ सँचित हों।

(धीराज गर्ब्याल)
सदस्य(न्यायिक),
राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड,
सर्किट कोर्ट, नैनीताल।

(विजय कुमार ढौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक),
राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

(सुरेश शर्मा)
अध्यक्ष।

आज दिनांक 02-02-16 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(धीराज गर्ब्याल)
सदस्य(न्यायिक),
राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड,
सर्किट कोर्ट, नैनीताल।

(विजय कुमार ढौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक),
राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड,
देहरादून।